क्रमांक 1283-3 एस-72/4813

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

(1) आयुक्त, अम्बाला मंडल, तथा
(2) हरियाणा के सभी उपायुक्त ।

दिनांक चंडीगढ़, 18 फरवरी, 1972

विषय :—जिला के सभी राजपत्रित अधिकारियों पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे नीति ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान उपर्युक्त विषय पर हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 1430-3 एस-71/5968, दिनांक 30 मार्च, 1971 की ओर दिलाऊं जिस में और बातों के अतिरिक्त यह बताया गया था कि उपायुक्त जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में अपने रिमार्कस लिखने के लिये सक्षम है। इस संदर्भ में हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के एस0 डी0 ओज0 तथा एक्स0 ई0 एनज0 (S.D.O. & X.E.Ns.) की गोपनीय रिपोर्ट पर उपायुक्तों द्वारा रिमार्कस रिकार्ड करने के मामले पर भी विचार किया गया है और बिजली बोर्ड को कन्सल्ट करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि उपायुक्त ऐसे अधिकारियों की ईमानदारी से सम्पर्क तथा विकास योजनाओं और सरकार की नीति को पूरा करने के काम आदि के बारे में अपने रिमार्कस संबंधित अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट में लिखने की बजाये, अपने विचार लिख कर सीधे चेयरमैन, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को by name भेजेंगे और अधिकारियों की रिपोर्ट बिजली बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लिखे जाने के समय उपायुक्तों के विचारों को ध्यान में रखा जायेगा ।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतें अनुपालन के लिये नोट कर ली जायें और इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

हस्ताक्षर

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

पृ: क्रमांक 1283-3 एस-72/4814 दिनांक, चंडीगढ़, 18 फरवरी, 1972

एक प्रति अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड को उनके अ० स० पत्र क्रमांक 3/कान्फ़िडैंशल/ई० जी०-240/एल, दिनांक 14 फरवरी, 1972 के संदर्भ में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

हस्ताक्षर

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति आयुक्त, सिचाई तथा बिजली विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

हस्ताक्षर

उप-सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

आयुक्त सिचाई तथा बिजली विभाग,
हरियाणा ।

अशा: क्रमांक 1283-3 एस-72/ दिनांक चंडीगढ़, 18-2-72